[2022] 1 एस. सी. आर. 529 _544

उत्तराखंड राज्य

बनाम

सचेन्द्र सिंह रावत

फरवरी 04, 2022

[एम . आर. शाह और बी.वी. नागरत्ना, जे. जे.]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या- 143/2022

(उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा आपराधिक अपील संख्या- 110/2016 में दिनांक 11.12.2018 को पारित निर्णय व आदेश से उत्सृजित)

अपीलार्थी के तरफ से .....श्री विरेन्द्र रावत व सुश्री नमिता चैधरी, अधिवक्ता

उत्तरदाता के तरफ से.....सुश्री नेहा शर्मा, अधिवक्ता,

न्यायालय का निर्णय एम.आर.शाह, जे. द्वारा उदघोषित

1. उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 11.12.2018 को पारित निर्णय व आदेश से व्यथित व असंतुष्ट होकर आपराधिक अपील संख्या- 110 संस्थित किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अभियुक्त द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकृत करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि प्रस्तुत वाद गैर-इरादतन हत्या नहीं है तथा परिणामस्वरूप आजीवन कारावास की सजा को दस साल के सश्रम कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध उत्तराखंड राज्य द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

2. यह कि प्रतिवादी/मूल अभियुक्त पर एक विरेन्द्र सिंह की हत्या करने के लिए भा.द.वि. की धारा- 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार दिनांक 26.11.2014 को पूरे गॉव के लोग एक अनिल नामक व्यक्ति के शादी के अवसर पर आयोजित मेहंदी समारोह में मृतक विरेन्द्र सिंह व आरोपी सचेन्द्र सिंह के साथ सम्मिलित थे तथा रात्रि में मृतक विरेन्द्र सिंह और आरोपी सचेन्द्र सिंह रावत के बीच कुछ झड़प हुई, लेकिन ग्रामीणों के हस्तक्षेप के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका तथा खाना खाने के बाद रात्रि करीब 12.00 बजे आरोपी विरेन्द्र

सिंह पर डंडा/फकाडियत (लकड़ी का एक खुरदरा टुकड़ा) से मृतक के सिर पर वार किया, तब मृतक विरेन्द्र सिंह सुरक्षा के लिए अपने घर की ओर भागा, तो आरोपी भी डण्डा लेकर मृतक के पीछे दौड़ा। मृतक के सिर पर कई जख्म कारित हुआ तथा उसका सिर फ्रैक्चर हो गया तथा बायें तरफ सिर पर जख्म कारित हुआ तथा मृतक की पत्नी/सूचिका अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही तथा उसके पति को काफी जख्म कारित हो गया। सूचिका की सास गीता देवी भी मृतक को बचाने के लिए आयी, लेकिन गंभीर जख्म होने के कारण मृतक बिरेन्द्र सिंह गिरकर बेहोश हो गया। मृतक का प्रारंभिक ईलाज डा0 शर्मा द्वारा किया गया, जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर घनसाली में रहते थे, लेकिन मृतक की स्थिति को देखते हुए उसके द्वारा मृतक को महंत इंदे्रश अस्पताल, देहरादुन रेफर कर दिया गया, जहॉ मृतक का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद दिनांक 05.12.2014 विरेन्द्र सिंह का निधन हो गया।

2.1 मृतक की पत्नी द्वारा प्रतिवादी/अभियुक्त के विरूद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा थाना प्रभारी द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचिका/मृतक की पत्नी सहित चश्मदीद साक्षियों का बयान अंकित किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा पोस्टमार्टम सहित चिकित्सीय साक्ष्य वगैरह एकत्रित किया गया तथा अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 302 भा0द0वि0 के दंडनीय अपराध के लिए आरोप-पत्र समर्पित किया गया। चूॅकि मामला विशेषतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया, जहॉ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप का गठन किया गया। अभियुक्त द्वारा दोष स्वीकर नहीं किया गया तथा विचारण का दावा किया गया तथा धारा- 302 भा0द0वि0 के अपराध में विचारण का दावा किया गया।

2.2 अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु कुल- 14 साक्षियों का परीक्षण कराया गया, जिसमें से मृतक की पत्नी/सूचिका सहित अधिकांश साक्षी चश्मदीद साक्षी थे। अभियोजन द्वारा साक्षी संख्या- 11 के रूप में डा0 पंकज अरोड़ा को भी परीक्षित किया गया, जिसके द्वारा मृतक का ऑपरेशन किया गया था। अभियोजन साक्ष्य बंद होने के पश्चात् अभियुक्त का धारा- 313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया था, तत्पश्चात् साक्षियों के मुल्यांकन एवं चश्मदीद साक्षी दर्शनी देवी, जो मृतक की पत्नी है एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास कर तथा मृतक के शरीर पर आये जख्मों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि यह

आपराधिक मानव वध हत्या का अपराध है तथा अभियुक्त को धारा- 302 भा.द.वि. के अपराध में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया।

2.3 विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दोषसिद्धि के आदेश ''आजीवन कारावास'' की सजा से व्यथित व असंतुष्ट होकर अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या- 110/2016 को संस्थित किया गया। विवादित निर्णय व आदेश द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय साक्षी संख्या- 1 मृतक की पत्नी सहित सभी चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास किया है तथा यह अवधारित किया है कि यह निर्मम हत्या नहीं है, बल्कि यह विवाह समारोह में अचानक लड़ाई एवं दोनों पक्षों के बीच आवेश में आकर लड़ाई-झगड़ा के परिणामस्वरूप एक डण्डा को हथियार के रूप में प्रयोग करने के कारण हुई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी की मृतक को मारने या उसकी हत्या करने का कोई इरादा था, इसलिए मामला भा.द.वि. की धारा- 300 के चौथे अपवाद के तहत आएगा तथा यह गैर-इरादतन हत्या नहीं है तथा ऐसा मानने के बाद हत्या के निष्कर्ष को गैर - इरादतन हत्या में परिवर्तित करने के बाद उच्च न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास से दस वर्ष सश्रम कारावास में परिवर्तित कर दिया है।

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर राज्य द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत किया गया।

3. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र रावत द्वारा दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया कि वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की गयी है कि मृतक की हत्या गैर-इरादतन हत्या नहीं है।

3.1 यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि मामला भा.द.वि. की धारा- 300 के चौथे अपवाद के अंतर्गत आएगा।

3.2 राज्य सरकारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक यह भी प्रस्तुत किया गया कि हथियार के रूप में केवल एक डण्डा/फकादियत का उपयोग किया गया है , इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह हत्या, गैर-इरादतन हत्या नहीं है तथा उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के शरीर के मर्म स्थल पर आये जख्मों- सिर एवं अनेक जख्म, जिसके

कारण मृतक की मृत्यु हुई है, उसपर उचित विचार किये बिना यह अवधारित किया गया है कि मृतक का हत्या गैर-इरादतन हत्या नहीं है।

3.3 राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा सहित तरीके से यह मूल्यांकन नहीं किया गया है कि शादी समारोह स्थल पर दोनों पक्षों के बीच प्रथम बार विवाद होने पर ग्रामीणों के हस्तक्षेप के कारण मामला आगे नहीं बढ़ा, तो कैसे करीब 12.00 बजे रात्रि में अभियुक्त मृतक पर फकादियत से हमला कर दिया, जबकि मृतक अपनी सुरक्षा हेतु अपने घर के तरफ भागकर घर के तरफ जा रहा था तथा अभियुक्त उसके पीछे जा रहा था तथा मृतक के घर के पास पहुँचकर उसके लगातार कई बार वार किया तथा यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय यह विचार करने व अवधारित करने में त्रुटि कारित किया है कि यह वाद भा.द.वि. की धारा-300 के चौथे अपवाद के अन्तर्गत आएगा, क्योकि वहॉ कोई पूर्वधारणा नहीं थी तथा यह अचानक मेहंदी समारोह के दौरान झगड़े का परिणाम था।

3.4 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा सही तरीके से इस तथ्य का मुल्यांकन नहीं किया गया है कि मेहंदी समारोह के दौरान घटित प्रथम घटना के पश्चात् मृतक को मारने की दूसरी मुख्य घटना घटित हुई थी तथा कल्पना में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह घटना मेहंदी समारोह में अचानक झगड़े की वजह से आवेश में अचानक लड़ाई के कारण हुई थी।

3.5 विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के सिर पर लगे अनेक गंभीर जख्मों पर भी बिल्कुल विचार नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गय है कि अभियुक्त ने कितने बल के साथ फकादियत का प्रयोग किया था, जिससे कि मृतक का सिर फ्रेक्चर हो गया तथा उसके सिर के बायें तरफ जख्म कारित हुआ, जिसमें बायें तरफ से लेकर सिर के मध्य तक 34 टांका लगा, जो मृतक के सिर के मध्य भाग से कोरोनल तक 16 सेमी लम्बा था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यह वाद निश्चित रूप से भा.द.वि. की धारा- 300 के उपबंध 3 व 4 के अन्तर्गत आयेगा। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा- 302 के अपराध में सही दोषी पाया गया है।

3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित निर्णायों का उल्लेख किया गया हैः-

स्टालिन बनाम राज्य (2020) 9 एस.सी.सी. 524, के वाद में इस न्यायालय द्वारा *महेश बाल्मिकी बनाम एम.पी. राज्य के मामलों में इस न्यायालय के पहले के निर्णयों (2000) 1 एस.सी.सी. 319, धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (2003) 9 एस.सी.सी. 322; पुलिचेरला नागराजू बनाम ए.पी.सी. 799; राजस्थान राज्य बनाम कन्हैया लाल (2019) 5 एस.सी.सी. 639; अरूण राज बनाम भारत संघ, (2010) 6 एस.सी.सी. 457; अशोक कुमार मगभाई बनकर बनाम गुजरात राज्य, (2011) 10 एस.सी.सी. 604; राजस्थान राज्य बनाम लीला राम, (2019) 13 एस.सी.सी. 131; बाविसेट्टी कामेश्वर राव बनाम ए.पी. राज्य, (2008) 15 एस.सी.सी. 725; और बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465 में विचार किया गया है।*

3.7 उपरोक्त प्रस्तुतियों व उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश को रद् एवं अपाश्त करते हुए भा.द.वि. की धारा- 302 के अपराध में विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश को बहाल करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा देने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रतिवादी के तरफ से उपस्थित उसके विद्वान अधिवक्ता सुश्री नेहा शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश का समर्थन करने की कोशिश करते हुए यह कहा गया है कि यह वाद गैर इरादतन हत्या का मामला है तथा हत्या नहीं है, जो भा.द.वि. की धारा- 300 के चौथे अपवाद के अन्तर्गत आता है।

4.1 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा वाद की आस-पास की परिस्थतियों एवं अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् ठोस कारण दिखाते हुए यह पाया गया है कि गैर इरादतन हत्या है, जो हत्या के तुल्य नहीं है तथा यह वाद भा.द.वि. की धारा- 300 के चौथे अपवाद के अन्तर्गत आता है।

4.2 विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा यह सही प्रक्षित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा हथियार के रूप में फकाडियत का उपयोग किया गया था, जो एक लकड़ी का खुर्दरा डण्डा है तथा यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्व चिंतन या किसी आशय से अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या की गई है

4.3 आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय सही ढंग से यह प्रेक्षित किया है एवं अवधारित किया है कि यह घटना मेहंदी समारोह में अचानक हुई झगड़े के

कारण आवेश में घटित हुई थी तथा प्रयोग में लाया गया हथियार फकाडियत था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से जलावन के रूप में किया जाता है, जहाँ भोजन पकाया जा रहा था तथा आवेश में आकर आरोपी ने फकाडियत उठाकर उसका उपयोग किया है, इसलिए यह मामला भा.द.वि. की धारा- 300 के चौथे अन्तर्गत आयेगा तथा यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने हत्या के निष्कर्ष को सही ढंग से गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित किया है तथा सजा को आजीवन कारावास से 10 वर्ष के सश्रम कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है।

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना।

शुरूआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि निचली अदालत ने आरोपी को एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए भा.द.वि. की धारा- 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया।

प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को एक विरेन्द्र सिंह की हत्या के अपराध में धारा- 302 भा.द.वि. में दोषी पाया गया है तथा इसमें यह भी देखा जा सकता है कि घटना दो जगह पर घटित हुई है। प्रथम घटना में मेहंदी समारोह के दौरान अभियुक्त एवं मृतक के बीच झड़प हुई थी तथा उस समय ग्रामीणों के हस्तक्षेप के कारण मामला आगे नहीं बढ़ा। तत्पश्चात् दूसरा घटना रात्रि करीब 12.00 बजे घटित हुई, जिसे वास्तविक घटना कहा जा सकता है, जो उस समय घटित हुई, जब अभियुक्त मृतक पर फकडियात द्वारा हमला किया तथा मृतक पर कई वार किया। मृतक अपने घर के तरफ भाग रहा था तथा अभियुक्त उसका पीछा करते हुए लगातार उसके सिर व जांघ वगैरह पर मारता रहा, इसलिए दूसरी घटना को आवेश में आकर अचानक लड़ाई का परिणाम नहीं कहा जा सकता। अभियुक्त करीब 12.00 बजे मध्य रात्रि में मृतक का पीछा किया, जबकि अभियुक्त अपने घर के पास पहुँच गया था, जिसे उक्त अभियुक्त उसके घर के सामने उसकी पत्नी साक्षी संख्या- 1 की उपस्थिति में मारा था। इसलिए उच्च न्यायालय यह प्रेक्षित करने या अभियुक्त के वाद को स्वीकार करने में त्रुटि की है कि उक्त घटना मेहंदी समारोह में अचानक आवेश में आकर लड़ाई-झगड़ा करने के कारण हुई थी तथा मेहंदी समारोह के दौरान दूसरी घटना बिल्कुल नहीं घटी थी। दूसरी घटना मृतक के घर के पास मृतक के घर के पास घटित हुई थी और वह भी पहली घटना खत्म होने के बाद जब सभी अपने-अपने घर चले

गये थे तथा उसके बाद 12.00 बजे मध्य रात्रि में दूसरी घटना हुई थी, जिसमें आरोपी मृतक को उसके सिर एवं जांघ पर फकादियत द्वारा कई बार वार किया था। इसलिए उच्च न्यायालय यह प्रेक्षित करने में त्रुटि की है कि यह वाद भा.द.वि. की धारा- 300 के चौथे अपराध के अन्तर्गत आयेगा।

5.1 इसके बावजुद, उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के लगे अनेक जख्मों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया है, जबकि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक के शरीर पर निम्नलिखित जख्म पाया गया हैः-

"शव की बाहरी जांच करने पर निम्नलिखित स्थितियाँ और चोटें पाई गईं:

औसत निर्मित, कठोर मोर्टिस दोनों ऊपरी अंगों पर मौजूद था जो जांघों के निचले आधे हिस्से तक फैला हुआ था, आंखें आंशिक रूप से खुली थीं, कॉर्निया सूख गया था, नाक में रक्त के थक्के थे।

(i) 16 सेमी के कोरोनल टांके के साथ खोपड़ी के बाईं ओर के मध्य से विस्तारित 34 टांके के साथ घाव। टाँके धात्विक थे।

(ii) घाव में मौजूद स्राव के साथ ट्रेकियोटॉमी का उद्घाटन, श्वासनली के अंदर तेज और अच्छी तरह से परिभाषित किनारों के साथ 4 सेमी आकार के घाव वाले घाव के साथ।

(iii) पैर की पिंडली के बाईं ओर ऊपरी दो-तिहाई क्षेत्र में कई कटे हुए घाव, जिनका आकार 1 से 2 सेमी, नीले-काले रंग का था।

शव की आंतरिक जांच करने पर निम्नलिखित स्थितियाँ और चोटें पाई गईं:

(i) बाईं ओर ललाट घाव पर खोपड़ी का फ्रैक्चर। तीक्ष्ण, अच्छी तरह से परिभाषित पार्श्विका हड्डी का घाव जो अच्छी तरह से परिभाषित मार्जिन के साथ क्रैनियोटॉमी का संकेत दे रहा था।

(ii) मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है और फ्रंटोपेरिएटल में थक्के मौजूद हैं।

क्षत-विक्षत मस्तिक घाव फ्रंटोपेरिएटल और टेम्पोरल तक फैला हुआ है। मौंत का

मुख्य कारण मृतक के सिर पर लगी चोट थी।

5.2 मृतक को लगी उपरोक्त कई चोटों से यह देखा जा सकता है कि आरोपी ने फकदियात का इस्तेमाल इतनी ताकत से किया है कि इसके परिणामस्वरूप बाई ओर के ललाट के जख्म खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई है तथा 16 सेमी के कोरोनल टांके के साथ खोपड़ी के बाई ओर के मध्य से विस्तारित 34 टांके के साथ मस्तिष्क क्षत-विक्षत हो गया है तथा फ्रंटोपेरिएटल और क्षतःविक्षत मस्तिष्क जख्म में मौजुद थक्के फ्रेटोपैरिएट और टेम्पोरल तक फैले हुए है। इस प्रकार इतनी ताकत से गंभीर चोट पहुँचाने के बाद आरोपी को भा.द.वि. की धारा- 300 के चौथे अपवाद का लाभ कैसे मिल सकता है। मामला निश्चित रूप से भा.द.वि. की धारा- 300 के खंड तीसरे व चौथे के अंतर्गत आएगा।

6. उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य के आलोक में, इस बिंदु पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है कि क्या गैर इरादतन-हत्या, हत्या के बराबर होगी या नहीं।

क) विरसा सिंह (सुप्रा) के मामले में, पैराग्राफ 16 और 17 में, इसे निम्नानुसार देखा और रखा गया थाः

> *'16. ...*सवाल यह नहीं है कि कैदी का इरादा गंभीर चोट पहुंचाने का था या मामूली चोट पहुंचाने का, बल्कि सवाल यह है कि क्या उसका इरादा ऐसी चोट पहुंचाने का था जो साबित हो चुकी है। यदि वह दिखा सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया, या यदि परिस्थितियों की समग्रता इस तरह के अनुमान को उचित ठहराती है, तो, निश्चित रूप से, धारा के लिए आवश्यक इरादा साबित नहीं होता है। लेकिन अगर चोट और इस तथ्य से परे कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने इसे पहुंचाया है, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि वह इसे पहुंचाना चाहता था। क्या उसे इसकी गंभीरता के बारे में पता था, या उसके गंभीर परिणामों का इरादा था, यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ है। *जहां तक इरादे का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि क्या उसका इरादा हत्या करना था या किसी विशेष डिग्री की गंभीर चोट पहुंचाना था, बल्कि यह है कि क्या उसका इरादा संबंधित चोट पहुंचाने का था और एक बार चोट का अस्तित्व साबित हो जाने पर इसे कारित करने का इरादा मान लिया जाएगा, जब तक कि सबूत या परिस्थितियाँ विपरीत निष्कर्ष की गारंटी न दें*, लेकिन इरादा है या नहीं, यह तथ्य का विषय है, कानून का नहीं। क्या घाव गंभीर है या अन्यथा, और यदि गंभीर है, तो कितना गंभीर

है, यह एक पूरी तरह से अलग और विशिष्ट प्रश्न है और इसका इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या कैदी का इरादा चोट पहुंचाने का था।

17. यह सच है कि किसी भी मामले में जांच को चोट की गंभीरता से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि यह साबित किया जा सकता है, या यदि परिस्थितियों की समग्रता एक अनुमान को उचित ठहराती है, कि कैदी ने केवल सतही खरोंच का इरादा किया था और दुर्घटनावश उसका शिकार लड़खड़ा गया और इस्तेमाल की गई तलवार या भाले पर गिर गया, तो निश्चित रूप से अपराध हत्या नहीं है. लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कैदी का इरादा उस चोट को पहुंचाने का नहीं था, जो वह पहुंचाना चाहता था, लेकिन यह इतनी गंभीर हो गई, बल्कि इसलिए कि उसका इरादा चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में उसका इरादा बिल्कुल अलग तरह की चोट पहुंचाने का होगा। अंतर कानून का नहीं बल्कि तथ्य का है; ....'' (मूल में जोर)

बी) धीरजभाई गोरखभाई नायक (सुप्रा) में, धारा- 300 भा.द.वि. के अपवाद 4 की प्रयोज्यता पर, इसे पैराग्राफ 11 में निम्नानुसार देखा और रखा गया थाः

> "11 भा.द.वि. की धारा- 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कृत्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन (एसआईसी उकसावे) के एक मामले से संबंधित है, जो पहले अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की वह गर्मी है जो पुरुषों के शांत कारण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है, लेकिन हुई चोट उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई झटका दिया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावे दिया गया हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण उन्हें सम्मान में रखते हैं समान स्तर पर अपराध बोध का. एक "अचानक लड़ाई" का तात्पर्य आपसी उकसावे और प्रत्येक पक्ष पर मारपीट से है। तब की गई हत्या को स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण नहीं देखा जा सकता है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो

अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो इसने इतना गंभीर रूप नहीं लिया होता। इसके बाद आपसी उकसावे और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक सेनानी पर जो दोष लगता है, उसे बांटना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (ए) बिना पूर्वचिन्तन के, (बी) अचानक लड़ाई में, (सी) अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना हुई हो, और (डी) लड़ाई तो मारे गए व्यक्ति से ही हुई होगी. किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी सामग्रियां मिलनी होंगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भा.द.वि. की धारा- 300 के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" को भा.द.वि. में परिभाषित नहीं किया गया है. लड़ाई करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। जुनून की गर्मी के लिए जरूरी है कि जुनून को ठंडा होने का समय न मिले और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया था। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है चाहे वे हथियारों के साथ हों या उनके बिना। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ "अनुचित लाभ" है।

ग) पुलिचेलरा नागराजू (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के पास गैर इरादतन हत्या और मौत का कारण बनने के इरादे के मामले पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया और माना गया कि मौत का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा, निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से इकट्ठा किया जा सकता हैः (i) इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार आरोपी द्वारा ले जाया गया था या घटनास्थल से उठाया गया था; (iii) क्या झटका शरीर के किसी

महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाकर किया गया है; (iv) चोट पहुंचाने में लगाए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कृत्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान था या सभी के लिए मुफ़्त लड़ाई के दौरान था; (vi) क्या घटना संयोगवश घटित हुई है या क्या कोई पूर्वचिन्तन किया गया था;(vii) क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी या क्या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा था, और यदि हां, तो ऐसे उकसावे का कारण; (ix) क्या यह जोश की गर्मी में था; (x) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से कार्य किया है; (xi) क्या आरोपी ने एक ही वार किया या कई वार किए। अनुच्छेद 29 में, इसे निम्नानुसार देखा गयाः

> 29. इसलिए, अदालत को सावधानी और सावधानी के साथ इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे यह तय होगा कि मामला धारा- 302 या 304 भाग - 1 या 304 भाग- 2 के अंतर्गत आता है या नहीं। कई छोटे या महत्वहीन मामले - फल तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों का झगड़ा, अशिष्ट शब्द का उच्चारण या यहां तक कि आपत्तिजनक नज़र से भी विवाद और समूह संघर्ष हो सकता है, जो मौतों में परिणत हो सकता है। ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है कोई इरादा न हो. हो सकता है कोई पूर्वचिन्तन न हो. वास्तव में, वहाँ आपराधिकता भी नहीं हो सकती है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां आरोपी यह मामला पेश करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है कि उसका मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा- 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा - 304 भाग I/II के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए, या गैर इरादतन हत्या के मामलों को धारा- 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में नहीं माना जाता है। मौत का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से इकट्ठा किया जा सकता हैः (i) इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार आरोपी द्वारा ले जाया गया था या घटनास्थल से उठाया गया था; (iii) क्या झटका शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाकर किया गया है; (iv) चोट पहुंचाने में लगाए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कृत्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान था या सभी के लिए मुफ़्त लड़ाई के दौरान था; (vi) क्या घटना संयोगवश घटित हुई है या क्या कोई

पूर्वचिन्तन किया गया था; (vii) क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी या क्या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा था, और यदि हां, तो ऐसे उकसावे का कारण; (ix) क्या यह जोश की गर्मी में था; (x) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से कार्य किया है; (xi) क्या आरोपी ने एक ही वार किया या कई वार किए। निस्संदेह, परिस्थितियों की उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है और व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।"

घ) सिंगापगु अंजैया (सुप्रा) के मामले में, तथ्यों और परिस्थितियों के समान सेट में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त का इरादा मृतक की मौत का कारण बनना था। अनुच्छेद 16 में, इसे निम्नानुसार देखा गयाः

"16. हमारी राय में, चूंकि कोई भी आरोपी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए उसके इरादे का पता इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और लगी चोटों की प्रकृति से लगाया जाना चाहिए। यहां, अपीलकर्ता ने अपराध के हथियार के रूप में एक क्राउबार को चुना था। उन्होंने चोट के लिए शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर को चुना है, जिससे खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने कितनी ताकत से हथियार का इस्तेमाल किया था। इन सभी कारकों का संचयी प्रभाव अप्रत्याशित रूप से एक और एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता का इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।"

ई) *कन्हैया लाल (उपर) में,* इस न्यायालय द्वारा पैरा 7.4 और 7.5 में इसे इस प्रकार रखा गया थाः

7.4. *अशोक कुमार मगाभाई वणकर (अशोककुमार मगाभाई वणकर बनाम गुजरात राज्य, (*2011) 10 एससीसी 604 में, मृत्यु मृतक के सिर पर लकड़ी के मूसल से एक ही वार के कारण हुई थी। पता चला कि आरोपियों ने इतनी जोर से मूसल का प्रयोग किया कि मृतक का सिर टुकड़े-टुकड़े हो गया. इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या मामला भा.द.वि. की धारा - 302 के अंतर्गत आएगा या धारा-300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा। इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि

मृतक को लगी चोट न केवल पीड़ित की मृत्यु के लिए आरोपी के इरादे को दर्शाती है, बल्कि उस संबंध में आरोपी के ज्ञान को भी दर्शाती है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा हमला पीड़ित की मौत के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। यह देखा गया है कि कोई भी समझदार व्यक्ति, कल्पना की किसी भी सीमा के साथ, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि शरीर के इतने महत्वपूर्ण हिस्से पर, ऐसे हथियार से चोट लगने से मृत्यु हो जाएगी।

7.5 इस न्यायालय द्वारा हाल ही में लीला राम *(राजस्थान राज्य बनाम लीला राम,* (2019) 13 एससीसी 131 के फैसले में और इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला पर विचार करने के बाद इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। एकल झटका, चाहे कोई मामला धारा 302 या धारा 304 भाग 1 या धारा 304 भाग 2 के तहत आता हो, इस न्यायालय ने फैसले को पलट दिया *(लीला राम बनाम राजस्थान राज्य*, 2008 एससीसी ऑनलाइन राज 945) और आरोपी को धारा-302 भा.द.वि. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। उसी निर्णय में, इस न्यायालय ने धारा 300 भा.द.वि. के अपवाद 4 पर भी विचार किया और पैरा 19 में निम्नानुसार देखाः (*लीला राम मामला ख्राजस्थान राज्य बनाम लीला राम*, (2019) 13 एससीसी 131, एससीसी पीपी 140-41)

> '19. ... अपवाद 4 के तहत, यदि उस प्रावधान में निहित शर्तों को पूरा किया जाता है, तो गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है। वे हैंः ;पद्ध यह कृत्य बिना पूर्वचिन्तन के किया गया था; ;पपद्ध अचानक झगड़ा हो गया; ;पपपद्ध अचानक हुए झगड़े पर कार्य आवेश में होना चाहिए; और ;पअद्ध अपराधी को अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए।''

7. इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को मामले के मौजूदा तथ्यों और इस तथ्य पर लागू करना कि अभियुक्त ने शरीर के महत्वपूर्ण भाग - सिर पर कई वार/कई वार किए जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं और वह "फकदियात" का प्रयोग इतनी ताकत से किया गया जिसके परिणामस्वरूप खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई और बाईं ओर एक ललाट पर एक घाव हो गया और खोपड़ी के बाईं ओर के मध्य भाग से 16 सेमी के कोरोनल टांके के साथ खोपड़ी के बाईं ओर 34 टांके वाले घाव हो गए। हमारी राय है कि

मामला भा.द.वि. की धारा- 300 के खंड तीसरे और चौथे के तहत आएगा। भा.द.वि. की धारा- 300 के खंड तीसरे और चौथे इस प्रकार पढ़ेंः

> *"तीसरा.-* यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है और पहुंचाई जाने वाली शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, या-
>
> *चौथा.-* यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि, पूरी संभावना है कि, यह मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनेगी जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और बिना किसी बहाने के मृत्यु या ऐसी चोट का जोखिम उठाने के लिए ऐसा कार्य करता है जैसा कि पूर्वोक्त है।"

इसलिए, भा.द.वि. की धारा -300 के अनुसार, यदि मामला भा.द.वि. की धारा-300 के खंड *तीसरे और चौथे* के अंतर्गत आता है, तो गैर इरादतन हत्या को हत्या की श्रेणी में माना जा सकता है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने भा.द.वि. की धारा- 300 में अपवाद चौथा लागू करके यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि गैर इरादतन हत्या हत्या की श्रेणी में नहीं आती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, भा.द.वि. की धारा -300 के चौथे अपवाद को इस तथ्य पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाना चाहिए था कि मुख्य दूसरी घटना रात में 12:00 बजे हुई थी, जो कि मेहंदी समारोह में विवाद की पहली घटना के काफी देर बाद हुई थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून के आधार पर भी टिकाऊ नहीं है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील स्वीकृत की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व आदेश, जिसमें हत्या के निष्कर्ष को गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित कर दिया गया तथा परिणामस्वरूप सजा को आजीवन कारावास से दस वर्ष सश्रम कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे रद्द किया जाता है। प्रतिवादी-अभियुक्त को मृतक वीरेंद्र सिंह की हत्या करने और/या हत्या करने के लिए भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है।

देविका गुजराल

अपील स्वीकृत

प्रस्तुतकर्ता
जनार्दन सिंह
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)
गोड्डा, झारखण्ड